सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा-4 (1) (बी) के अन्तर्गत
बनाये गये मैनुअल की
सामग्री

1- <u>राजनैतिक पेंशन विभाग का विवरण, कार्य एवं दायित्व</u>

राजनैतिक पेंशन विभाग में राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम भाव से प्रेरित होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, उनकी सुविधाओं तथा सहायता आदि से सम्बन्धित कार्यकलाप निष्पादित किये जाते हैं । राजनैतिक पेंशन विभाग में वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव(लेखा), उप सचिव एवं अनु सचिव तैनात हैं । विभाग में शासन स्तर पर पांच अनुभाग हैं । राजनैतिक पेंशन विभाग के अधीनस्थ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कठिनाईयों आदि के निवारण के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 1973 द्वारा की गयी है । इसके साथ यह एक निदेशालय भी है, और निदेशक ही इस परिषद के पदेन सचिव हैं । इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यादगार में मूर्तियों, स्तम्भों एवं शहीद स्मारकों के निर्माण कार्य हेतु स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान भी कार्यरत है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निःशुल्क आवास के उद्देश्य से रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ व मथुरा में एक-एक सेवा सदन स्थापित है । मा0 मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष एवं मा० राजनैतिक पेंशन मंत्री जी उपाध्यक्ष हैं ।

देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/अनुदान की चलायी गयी । यह योजना वर्ष 1947 से लागू की गयी । कालान्तर में पेंशन/अनुदान हेतु दिनांक 6.8.1975 से प्रभावी पेंशन नियमावली भी प्रख्यापित की गयी । इस नियमावली के नियमों में प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जीवनपर्यन्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है । इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के पश्चात उनके पात्र आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सन्तान (पुत्र/पुत्री) जेल में पैदा हुए हैं, उन्हें भी उक्त पेंशन का लाभ दिनांक 07.06.2001 से दिया जाय ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को विभिन्न प्रयोजनों यथा सेनानी की पुत्री, आश्रित बहन, पौत्री अथवा विधवा पुत्री की पुत्री के विवाहार्थ तथा उनके परिवार की चिकित्सा आदि के लिये दिये जाने वाले

अनुदान की तदर्थ व्यवस्था को समाप्त कर दिनांक 01 फरवरी, 1996 से उनकी पेंशन के साथ रूपया 250/- प्रतिमाह प्रदान किया जाता रहा है , जिसे 01 जून, 1998 से बढ़ाकर रूपया 350/- कर दिया गया है तथा दिनांक 16.02.2009 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन रुपया 3,150 / महँगाई राहत रूपया 2,142/- एवं विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराशि रूपया 464/- अर्थात कुल रूपया 5,756/- पेंशन का भुगतान किया जा रहा था । शासनादेश दिनांक- 01 अप्रैल, 2015 द्वारा रू0 12,000/- शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा रू० 15,176/- तथा शासनादेश संख्या-2/2018/170 जेड/6-सा-3-2018, दिनांक-19 जनवरी, 2018 द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन राशि रू0 20,176 /- कर दिया गया है ।

लोकतन्त्र रक्षक सेनानियों (दिनांक-25-06-1975 से दिनांक-21-03-1977 तक लोकतन्त्र की रक्षा में योगदान) को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य भी सम्पादित किया जाता है । लोकतन्त्र रक्षक सेनानियों को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु "उ0 प्र0 लोकतन्त्र सेनानी सम्मान अधिनियम् 2016" दिनांक-22 मार्च, 2016 से प्रभावी है । वर्तमान में लोकतन्त्र रक्षक सेनानियों/आश्रितों (पति/पत्नी यथास्थिति) को सम्मान राशि रू0 20,000 /- प्रतिमाह प्रदान की जा रही है ।

परिवहन सुविधा

वर्ष 1983 से स्वतंत्रता सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गयी । वर्ष-1989 से एक सहचर के साथ पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है । वर्तमान में यह सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के बाहर के लिए भी अनुमन्य की गयी है ।

मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दिवंगत होने पर उनके दाह संस्कार हेतु उनके पात्र आश्रितों को रूपये 5000/- दिया जा रहा था जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक-07.01.2020 से बढ़ाकर रूपया 12,000/- कर दिया गया है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कठिनाइयों आदि के निवारण के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना की गयी है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई है, जिसमें 25

सेनानियों की स्थाई तथा 5 आकस्मिक अभ्यागतों के लिए रहने की व्यवस्था है । सेवा सदन रीवर बैंक कालोनी में स्थित है । इसी प्रकार के एक सेवा सदन की स्थापना मथुरा जिले में की गयी है । लखनऊ स्थित उक्त सदन की देखभाल हेतु अधीक्षक का पद स्वीकृत है।

<u>स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान</u>

स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले तथा अन्य विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा स्मारकों, स्तम्भों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है । यह कार्य उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान के माध्यम से कराया जाता है।

<u>उद्देश्य</u>

राजनैतिक पेंशन विभाग , राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम भाव से प्रेरित होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, उनकी सुविधाओं तथा सहायता एवं सेनानियों की याद में मूर्ति/स्मारक/स्तम्भ निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्य कलाप सम्पादित करने के उद्देश्य से कार्यरत है ।

<u>कार्य :-</u>

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य किये जाते है :-

1- राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को रू0 20,176 /- प्रतिमाह की पेंशन व अन्य सुविधायें प्रदान की जाती है । वर्तमान में राज्य में सेनानियों की संख्या 32 व उनके आश्रितों की संख्या 976 है।

2- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा मूर्ति/ स्मारक/ स्तम्भ का निर्माण कराया जाता है । इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रू0 75.00 लाख की व्यवस्था है ।

3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रहने के लिए सेवा-सदन का निर्माण सेवा सदन , लखनऊ में 25 स्थायी सेनानी तथा 05 आकस्मिक अभ्यागतों तथा सेवा सदन, मथुरा में 20 सेनानियों के रहने की व्यवस्था है । सेवा सदन में केन्द्रीय सेनानियों के लिये रू० 450/- प्रतिमाह तथा राज्य सेनानियों के लिये रू० 200/- प्रतिमाह भुगतान किये जाने पर रहने की व्यवस्था है । सेनानियों को प्रतिदिन एक किलोग्राम दूध, रू० 4/- का फल, दो समय का खाना तथा प्रतिमाह 300 ग्राम तेल, 2 नहाने के साबुन एवं दो कपड़े धोने के साबुन तथा 750 ग्राम चीनी उपलब्ध करायी जाती है । आकस्मिक अभ्यागतों को रू० 8/- के भुगतान पर दो समय का प्रतिदिन का भोजन उपलब्ध कराया जाता है ।

4- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 2 प्रतिशत की आरक्षण की सुविधा ।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उ० प्र० राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा ।

6- दिवंगत सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों को रू0 12,000/- का अनुदान देना ।

2- अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

सामान्यत: शासन में विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियुक्त होते हैं जो विभाग को नियंत्रित करते हैं। राजनैतिक पेंशन विभाग में अपर मुख्य सचिव तैनात हैं जिनके पास विभाग की समस्त कार्यकारी/वित्तीय निहित हैं। विभाग के अर्न्तगत अपर मुख्य सचिव के सीधे नियंत्रण में राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1,राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2, राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3, राजनैतिक पेंशन लेखा अनुभाग-3 व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग(निदेशालय) हैं। सचिवालय की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली के दृष्टिगत सभी अनुभाग में अनुभाग अधिकारी तैनात हैं। जिनके नियंत्रण में अनुसेवक, कम्प्यूटर सहायक, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी कार्य करते हैं।

3- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

सचिवालय के सभी अनुभागों में सचिवालय मैनुअल में निर्दिष्ट प्रक्रिया और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। सचिवालय मैनुअल में ही पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में विवरण दिये गये हैं। अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारी होता है। सचिवालय मैनुअल के प्रस्तर-2 से 16 में अनुभाग अधिकारियों को सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की डायरी का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं ताकि अनुभाग में होने वाले कार्यो का सही आंकलन हो सके और प्रत्येक कार्मिक के पटल पर लम्बित स्थिति का भी पता चल सके। विभाग में होने वाले कार्यो का परीक्षण करने के लिये प्रमुख सचिव स्तर पर स्टाफ मीटिंग की जाती है जिसमें प्रत्येक प्रकार के कार्यो की स्थिति/ प्रगति का पता चलता है।

4-अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा सत्यापित मापमान

सचिवालय में प्रमुख सचिव स्तर से लेकर अनुभाग स्तर तक के अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित कार्य सीमा में रह कर अपना कार्य सम्पादित करते हैं । कार्यालय आने जाने एवं लंच आदि का समय सचिवालय प्रशासन द्वारा निर्धारित है । शासकीय कार्य में समयशीलता का अनुपालन करने हेतु समय-समय पर निर्देश व नीति निर्गत होती है जिसका अनुपालन सबके

द्वारा किया जाता है । राजनैतिक पेंशन विभाग में भी स्थापित मानकों का पालन किया जाता है ।

5- अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका व अभिलेख ।

6- ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण

1- उ0 प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा स्वतंत्रता संग्राम पेंशन सम्बन्धी नियमावली ।

2- उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि हेतु "उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016" ,"उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान संशोधन अधिनियम, 2018" व "उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान संशोधन अधिनियम, 2021" वर्तमान में प्रख्यापित है ।

3- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की स्मृति में शहीद स्तम्भों/स्मारकों का निर्माण/ प्रतिमाओं की स्थापना के प्रस्तावों के निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धी , गृह (सामान्य) अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या- 576 जेड/6 -सा-1-7 के0 पी0 / 89 , दिनांक 09 मार्च, 1989 ।

4- उत्तर प्रदेश राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिल रही पेंशन का गृह (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 231 जेड/6-सा-1-09-61जी/85, दिनांक 16 फरवरी, 2009

शाखा स्तर पर होने वाले अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य यथा जी० पी० एफ०, अवकाश स्वीकृति एल० टी० सी०, अनुशासनिक कार्यवाही आदि से सम्बन्धित कार्य विनिर्दिष्ट नियमों और नियमावली के अन्तर्गत राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 द्वारा किये जाते हैं । इस तरह स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन/मूर्ति/स्मारक निर्माण तथा लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि व अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने का कार्य राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2 में होता है । राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 में नीति विषयक एवं बजट समस्त कार्य व्यवहृत होता है ।

7- किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2 के नियंत्रणाधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान तथा सेवा सदन लखनऊ व मथुरा में कार्यरत हैं ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद द्वारा प्रदेश भर के स्वतंत्रता सेनानियों का विवरण रखा जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण

एवं विभिन्न जनपदों को इस निमित्त धन आवंटन की कार्यवाही की जाती है । सेनानियों के कल्याण के लिए आवश्यक सुझाव कल्याण परिषद द्वारा शासन को दिये जाते हैं ।

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों/ स्मारकों के निर्माण के सम्बन्ध में संस्तुति दी जाती है तथा शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्राप्त कर शासन/महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाता है।

सेनानियों के कल्याणार्थ सेवा सदन का निर्माण किया गया है जिसमें उनके रहने एवं खाने की व्यवस्था की जाती है ।

8- बोर्डो , परिषदों , समितियों और अन्य निकायों विषयक

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2 के नियंत्रणाधीन गठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के गठन का मूल उद्देश्य सेनानियों की कठिनाईयों का निवारण करना है । मा0 मुख्यमंत्री जी परिषद के अध्यक्ष तथा विभागीय मंत्री जी परिषद के पदेन उपाध्यक्ष हैं । परिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है । परिषद के कुशल संचालन हेतु निदेशक/ सचिव नियुक्त है तथा उनके अधीन एक अनुभाग अधिकारी सहित 05 कर्मी तैनात है ।

9- अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र0 संख्या	नाम/पदनाम	कार्यालय	दूरभाष	
			कार्यालय	आवास
1-	**श्री रजनीश गुप्ता,** अपर मुख्य सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग, उ0 प्र0 शासन ।	कक्ष संख्या-61, नवीन भवन, उ0 प्र0 सचिवालय	0522-2237321, 2213474	....
2-	**श्री मनोज कुमार राय,** **विशेष सचिव** नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग,उ0 प्र0 शासन ।	कक्ष संख्या-309, ब्लॉक- सी, लोक भवन	0522-2226233, 2226234	-----------
3-	**श्री विजय कुमार मिश्र** **उप सचिव, राजनैतिक पेंशन**	ब्लॉक- सी, लोक		9454412053

	विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	भवन		
2-	**श्री राजेश लाल श्रीवास्तव,** संयुक्त सचिव(लेखा), होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग,उ0 प्र0 शासन/निदेशक/सचिव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/निदेशालय	कक्ष संख्या-609, ब्लॉक- सी, लोक भवन	2226241	....
3-	**श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल** अनु सचिव, राजनैतिक पेंशन विभाग	कक्ष संख्या-612, ब्लॉक- सी, लोक भवन	....	9454412851
3-	**श्रीमती प्रतिज्ञा चौहान,** अनुभाग अधिकारी राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1	कक्ष संख्या-601, ब्लॉक- सी, लोक भवन	2226534	9454413001
4-	**श्री विजय यादव,** अनुभाग अधिकारी राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2	कक्ष संख्या-602, ब्लॉक- सी, लोक भवन	2226531	9454412053
5-	**श्री विनोद कुमार** प्रभारी अनुभाग अधिकारी राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3	कक्ष संख्या-603, ब्लॉक- सी, लोक भवन	2226547	9454411676
6	**श्रीमती सीमा गुप्ता** अनुभाग अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग	कक्ष संख्या-224, ब्लॉक- सी, लोक भवन	....	9454411821

<u>10- सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट</u>

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राजनैतिक पेंशन विभाग के नियंत्रणाधीन ईकाईयों को आवंटित धनराशि का विवरण

अनुदान संख्या-28

आयोजनेत्तर

क्र0	आय-व्ययक लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये बजट आवंटन (रू0 में)
1	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- 107- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33- पेंशन/ आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ	30,00,00,000/-
2	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें -092- अन्य कार्यालय -03-उ0 प्र0 स्व0 सं0 से0 कल्याण परिषद से संबंधित अधिष्ठान मुख्यालय	1,05,15,000/-
3	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें- 200- अन्य योजनाएं-03-स्व0 सं0 से0 सेवा सदन से संबंधित अधिष्ठान मुख्यालय	1,09,09,000/-
4	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें-04-उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)-53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राज्य सहायता)	42,39,000/-
5	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें-06-मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता-20 -सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	5,00,000/-
6	3055-सड़क परिवहन -190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को भुगतान-42- अन्य व्यय	20,00,000/-

7	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-आपात कालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान-42-अन्य व्यय	1,60,00,00,000/-
8	3055-सड़क परिवहन -190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-04- आपात कालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को भुगतान-42- अन्य व्यय	4,00,00,000/-
9	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी आदि के लिए 24-वृहत निर्माण कार्य ।	75,00,000/-

<u>11- सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं :-</u>

इससे सम्बन्धित सूचना "शून्य" है ।

<u>12- अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों , अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियॉः-</u>

इससे सम्बन्धित सूचना "शून्य" है ।

<u>13- किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसके उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों :-</u>

इससे सम्बन्धित सूचना "शून्य" है ।

<u>14- सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा यथा पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष की व्यवस्था :-</u>

इससे सम्बन्धित सूचना "शून्य" है ।

15- राजनैतिक पेंशन विभाग में नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम पदनाम एवं अन्य विवरण :-

क्रमांक	नाम/पदनाम	कार्यालय	दूरभाष	
			कार्यालय	आवास
1	श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल	कक्ष संख्या-612, ब्लॉक-सी, लोक भवन, लखनऊ	....	9454412851

राजनैतिक पेंशन विभाग के अनुभागवार जन सूचना अधिकारी

1	**श्रीमती प्रतिज्ञा चौहान**, राजनैतिक पेंशन अनु0-1(अधि0)	कक्ष संख्या-601, ब्लॉक-सी, लोक भवन, लखनऊ	2226534	9454413001
2	**श्री विजय यादव**, अनुभाग अधिकारी राजनैतिक पेंशन अनु0-2	कक्ष संख्या-602, ब्लॉक-सी, लोक भवन, लखनऊ	2226547	9454412053
3	**श्री अनुरुद्ध कुमार मिश्र**, अनुभाग अधिकारी राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3	कक्ष संख्या-603, ब्लॉक-सी, लोक भवन, लखनऊ	2226531	9454412788
4	**श्रीमती सीमा गुप्ता** अनुभाग अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग	कक्ष संख्या-224, ब्लॉक-सी, लोक भवन, लखनऊ	2226534	9454411821

16- ऐसी अन्य सूचनाएं जो विहित की जाएं:-

इससे सम्बन्धित सूचना ''शून्य'' है।